न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I, (RAS)**

राजस्व वाद संख्या :– 143/2024 **GCMS 2024/320**

प्रार्थीगण:–

1. श्री हरीसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी जूसरी तहीसल मकराना जिला डीडवाना–कुचामन

अप्रार्थी:–

1. भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र बाबत् रेकर्ड नाम शुद्धिकरण अंतर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल शर्मा प्रार्थी की ओर से।
राज. पैराकार उपस्थित।

–:निर्णय :–

दिनांक :– 12/05/2025

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से राजस्व ग्राम सिडियास पटवार हल्का पलाड़ा भू.अभि.नि.मंडावरा तहसील कुचामन की राजस्व सीमा में खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 16 रकबा 0.0700 है. ख.नं. 20 रकबा 10.0200 है. ख.नं. 25 रकबा 5.8600 है. कुल खसरे 03 कुल रकबा 15.9500 है. किस्म बारानी 2 स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/8 हिस्सा आया हुआ है। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2075–2078 में अंकित है। जिस पर प्रार्थी कब्जे काश्त में है। ग्राम सिडीयास की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खेत खसरा नंबर 16 रकबा 0.0700 है. ख.नं. 20 रकबा 10.0200 है. ख.नं. 25 रकबा 5.8600 है. कुल खसरे 03 कुल रकबा 15.9500 है. भूमि पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद फौतगी नामांतरण दर्ज करते समय प्रार्थी का घर का बोलता नाम लालसिंह पुत्र अमरसिंह राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम हरीसिंह पुत्र श्री अमरसिंह है। प्रार्थी के आधारकार्ड, वोटरलिस्ट, पहचान पत्र, राशन कार्ड, आई.डी.कार्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का वास्तविक नाम हरीसिंह पुत्र श्री अमरसिंह अंकित है परन्तु घर पर बोलता नाम लालसिंह होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:34:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

कारण मुझ प्रार्थी के नाम से ग्राम सिडियास पटवार हल्का पलाड़ा भू.अभि.नि.मंडावरा में संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा सं. 16 रकबा 0.0700 है. ख.नं. 20 रकबा 10.0200 है. ख.नं. 25 रकबा 5.8600 है. कुल खसरे 03 कुल रकबा 15.9500 है. जिसमें प्रार्थी का 1/8 हिस्सा आया हुआ है जिसमें लालसिंह पुत्र अमरसिंह अंकित है। जबकि ग्राम सिडीयास के खेत खसरा नं. 19, 337/18 कुल रकबा 1.9400 है. जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा जिसमें वास्तविक नाम हरीसिंह पुत्र अमरसिंह अंकित है। जमाबंदी नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है जिन्हें प्रार्थना पत्र का भाग समझा जावें। प्रार्थी की भूमि पैतृक भूमि है जिसका फौतगी नामांतरण के समय घर का बोलता नाम लालसिंह पुत्र अमरसिंह अंकित है जबकि वास्तविक नाम हरीसिंह पुत्र श्री अमरसिंह है। हरीसिंह एवं लालसिंह दोनों ही नाम प्रार्थी के ही उक्त नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करवाकर लालसिंह पुत्र अमरसिंह के स्थान हरीसिंह पुत्र अमरसिंह अंकित करवाना चाहता है। राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्धि करवाने पर किसी अन्य को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए प्रार्थी के नाम में शुद्धि कर लालसिंह पुत्र अमरसिंह के स्थान हरीसिंह पुत्र अमरसिंह किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। ऊपर वर्णित त्रुटि को शुद्धि करवाकर राजस्व रेकर्ड में सही अंकन दर्ज करवाने बाबत् ही प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती का श्रीमान के न्यायालय में वाद पत्र पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया मामला है प्रार्थी के नाम से संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम सिडीयास पटवार हल्का पलाड़ा में संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं. 16 रकबा 0.0700 है. ख.नं. 20 रकबा 10.0200 है. ख.नं. 25 रकबा 5.8600 है. कुल खसरे 03 कुल रकबा 15.9500 है.जिसमें प्रार्थी का 1/8 हिस्सा आया हुआ है। प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि पर कब्जे काश्त में है इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि वादग्रस्त खसरान की भूमि प्रार्थी का नाम लालसिंह पुत्र अमरसिंह के स्थान हरीसिंह पुत्र अमरसिंह नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को [illegible] होगी जिसका आंकलन रूपयों में नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी [illegible] नाम में शुद्धि कर लालसिंह पुत्र अमरसिंह के स्थान हरीसिंह पुत्र अमरसिंह [illegible] किया जाने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:34:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

श्रीमान तहसीलदार साहब कुचामन को पक्षकार बनाया गया है जिनके खिलाफ किसी प्रकार की रीलीफ नहीं चाही गई है इसलिए धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। बिनाय दावा पटवारी हल्का से राजस्व रेकर्ड नकले प्राप्त कर अवलोकन करने पर व अन्य दस्तावेज में नाम भिन्नता के संबंध में जानकारी होने पर एवं श्रीमान तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा नाम शुद्धिकरण करने में असमर्थता जाहिर करने पर उत्पन्न हुआ जो आज भी जारी है। वादग्रस्त खसरा की कृषि भूमि मौजा ग्राम सिडीयास पटवार हल्का पलाड़ा में स्थित होने के कारण वाद श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। एक डिक्री बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय की फरमाई जावें कि प्रार्थी के नाम से ग्राम सिडीयास पटवार हल्का पलाड़ा भू.अभि.नि. मंडावरा में संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा सं. 16 रकबा 0.0700 है. ख.नं. 20 रकबा 10.0200 है. ख.नं. 25 रकबा 5.8600 है. कुल खसरे 03 कुल रकबा 15.9500 है.जिसमें प्रार्थी का 1/8 हिस्सा आया हुआ है। प्रार्थी का नाम में शुद्धि कर लालसिंह पुत्र अमरसिंह के स्थान हरीसिंह पुत्र अमरसिंह घोषित फरमावें। इस आशय की एक तहरीर अप्रार्थी को जारी कर आदेशित किया जावें कि निर्णय डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार लालसिंह पुत्र अमरसिंह हिस्सा 1/8 जाति राजपूत सा.जूसरी तहसील मकराना खातेदार दर्ज अनुसार स्वीकार है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व राजपैरोकार ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में कब व किस राजस्व संक्रिया के दौरान अशुद्ध दर्ज हुआ है के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साबित हो कि प्रार्थी का नाम पूर्व के राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज था [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:34:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12/05/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार ,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:34:56 IST
Reason: SelfAttested